न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
पीठासीन अधिकारी–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 140 /2018

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
यूको बैंक शाखा डांगावास, नागौर		ललित किशोर आचार्य पुत्र श्री खेम चन्द आचार्य एंव श्रीमति सीमा पत्नि श्री ललित किशोर आचार्य, पता– 109 जैतारन रोड, गायत्री मन्दिर के पास, मेडता सिटी जिला नागौर एंव रेल्वे स्टेशन के पास, घोसियों का बास, मेडता सिटी जिला नागौर

आदेश **दिनांकः 17-12-2018**

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रूपये **दिनांक 04.08.2014 को रूपये 13,50,000/– अक्षरे तेरह लाख पचास हजार रूपये एंव दिनांक 20.04.2015 को रूपये 21,00,000/– अक्षरे इक्कीस लाख रूपये का** ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति – व्यावसायिक शॉप जो रेल्वे स्टेशन के पास, घोसियों का बास, मेडता सिटी, जिला नागौर में स्थित है जो श्री ललित किशोर आचार्य पुत्र खेम चन्द आचार्य के नाम से है, सेल डिड नं. 2010002145 दिनांक 29.04.2010, जिसका कुल क्षेत्रफल 67.58 वर्ग फीट है। पडौस पूर्व– मानक चन्द आचार्य एंव सुगनी देवी की अचल सम्पति, पश्चिम– सार्वजनिक रोड एंव निकाल, उतर– सुगनी देवी की अचल सम्पति, दक्षिण– मानक चन्द आचार्य की अचल सम्पति एंव रहवासी सम्पति जो प्लाट न. ए–24 राव दुदा नगर, मेडतासिटी जिला नागौर में स्थित है जो श्री ललित किशोर आचार्य पुत्र खेम चन्द के नाम से है, लीज डीड नं. 201400120 दिनांक 03.01.2014 जिसका कुल क्षेत्रफल 138.88 वर्ग गज है। पडौस पूर्व– प्लाट न. ए–25, पश्चिम– प्लाट न. ए–23, उतर– निकाल एंव रोड 20 फीट, दक्षिण– प्लाट न. ए–27 एंव रहवासी सम्पति जो प्लाट न. 27, सुरज नगर–बी, मेडता सिटी, जिला नागौर में स्थित है जो श्री ललित किशोर आचार्य पुत्र श्री खेम चन्द आचार्य के नाम से है, सेल डिड न. 2014011739 दिनांक 16.12.2014 जिसका कुल क्षेत्रफल 138.88 वर्ग गज है। पडौस पूर्व– निकाल एंव रास्ता 30 फीट, पश्चिम– व्यावसायिक भूमि, उतर– प्लाट न. 28, दक्षिण– प्लाट न. 26** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 31.05.2018** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 21,58,332.63/– अक्षरे इक्कीस लाख अठावन हजार तीन सौ बतीस रूपये तरेसठ पैसे दिनांक 31.05.2018 तक इसके पश्चात् के ब्याज एंव खर्चे अतिरिक्त** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 23.07.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 21,58,332.63/– अक्षरे इक्कीस लाख अठावन हजार तीन सौ बतीस रूपये तरेसठ पैसे दिनांक 31.05.2018 तक इसके पश्चात् के ब्याज एंव खर्चे अतिरिक्त** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **व्यावसायिक शॉप जो रेल्वे स्टेशन के पास, घोसियों का बास, मेडता सिटी, जिला नागौर में स्थित है जो श्री ललित किशोर आचार्य पुत्र खेम चन्द आचार्य के नाम से है, सेल डिड नं. 2010002145 दिनांक 29.04.2010, जिसका कुल क्षेत्रफल 67.58 वर्ग फीट है। पडौस पूर्व– मानक चन्द आचार्य एंव सुगनी देवी की अचल सम्पति, पश्चिम– सार्वजनिक रोड एंव निकाल, उतर– सुगनी देवी की अचल सम्पति, दक्षिण– मानक चन्द आचार्य की अचल सम्पति एंव रहवासी सम्पति जो प्लाट न. ए–24 राव दुदा नगर, मेडतासिटी जिला नागौर में स्थित है जो श्री ललित किशोर आचार्य पुत्र खेम चन्द के नाम से है, लीज डीड नं. 201400120 दिनांक 03.01.2014 जिसका कुल क्षेत्रफल 138.88 वर्ग गज है। पडौस पूर्व– प्लाट न. ए–25, पश्चिम– प्लाट न. ए–23, उतर– निकाल एंव रोड 20 फीट, दक्षिण– प्लाट न. ए–27 एंव रहवासी सम्पति जो प्लाट न. 27, सुरज नगर–बी, मेडता सिटी, जिला नागौर में स्थित है जो श्री ललित किशोर आचार्य पुत्र श्री खेम चन्द आचार्य के नाम से है, सेल डिड न. 2014011739 दिनांक 16.12.2014 जिसका कुल क्षेत्रफल 138.88 वर्ग गज है। पडौस पूर्व– निकाल एंव रास्ता 30 फीट, पश्चिम– व्यावसायिक भूमि, उतर– प्लाट न. 28, दक्षिण– प्लाट न. 26** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **दिनांक 04.08.2014 को रूपये 13,50,000/– अक्षरे तेरह लाख पचास हजार रूपये एंव दिनांक 20.04.2015 को रूपये 21,00,000/– अक्षरे इक्कीस लाख रूपये** प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार हैः– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति – व्यावसायिक शॉप जो रेल्वे स्टेशन के पास, घोसियों का बास, मेडता सिटी, जिला नागौर में स्थित है जो श्री ललित किशोर आचार्य पुत्र खेम चन्द आचार्य के नाम से है, सेल डिड नं. 2010002145 दिनांक 29.04.2010, जिसका कुल क्षेत्रफल 67.58 वर्ग फीट है। पडौस पूर्व– मानक चन्द आचार्य एंव सुगनी देवी की अचल सम्पति, पश्चिम– सार्वजनिक रोड एंव निकाल, उतर– सुगनी देवी की अचल सम्पति, दक्षिण– मानक चन्द आचार्य की अचल सम्पति एंव रहवासी सम्पति जो प्लाट न. ए–24 राव दुदा नगर, मेडतासिटी जिला नागौर में स्थित है जो श्री ललित किशोर आचार्य पुत्र खेम चन्द के नाम से है,**

लीज डीड नं. 201400120 दिनांक 03.01.2014 जिसका कुल क्षेत्रफल 138.88 वर्ग गज है। पडौस पूर्व– प्लाट न. ए–25, पश्चिम– प्लाट न. ए–23, उतर– निकाल एंव रोड 20 फीट, दक्षिण– प्लाट न. ए–27 एंव रहवासी सम्पति जो प्लाट न. 27, सुरज नगर–बी, मेडता सिटी, जिला नागौर में स्थित है जो श्री ललित किशोर आचार्य पुत्र श्री खेम चन्द आचार्य के नाम से है, सेल डिड न. 2014011739 दिनांक 16.12.2014 जिसका कुल क्षेत्रफल 138.88 वर्ग गज है। पडौस पूर्व– निकाल एंव रास्ता 30 फीट, पश्चिम– व्यावसायिक भूमि, उतर– प्लाट न. 28, दक्षिण– प्लाट न. 26 जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट,नागौर

जिला कलक्टर/मजिस्ट्रेट
नागौर